कार्यालयः—प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन, 73—नेहरू रोड, देहरादून।

/नीलाम सामान्य/ई—आक्सन/प्रकाष्ठ आदि।

प्रकाष्ठ आदि के ई—आक्सन/ई—नीलाम हेतु शर्तेः—

उत्तराखण्ड वन विकास निगम में प्रकाष्ठ,जलौनी जड़, बांस आदि के ई आक्सन/ई—नीलाम के लिए आवश्यक शर्तें एतद्द्वारा द्वारा जारी की जा रही है। ये शर्ते तत्कालीक प्रभाव से लागू होंगी।

ई—आक्सन/ई—नीलाम की शर्तेः-

सामान्य शर्तेः—

1— उत्तराखण्ड वन विकास निगम के डिपोओं में भण्डारित प्रकाष्ठ आदि की लौट को ई—नीलाम से क्रय किये जाने हेतु सम्मानित क्रेता को उत्तराखण्ड वन विकास निगम के ई—नीलाम प्रणाली में अपना नाम पंजीकरण कराना होगा। क्रेता द्वारा वैबसाईट www.uafdc.in पर रु0—30,000.00 (रू0तीस हजार मात्र) जमा करके पंजीकरण कराया जायेगा, जो एक बार (One time) होगा। आगामी वर्षो हेतु रु0—5000.00(पांच हजार मात्र) बिना वापसी (Non refundable) जमा कर प्रत्येक वर्ष माह जनवरी में नवीनीकरण कराना होगा। 31 जनवरी तक नवीनीकरण न कराये जाने पर पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा। बेबसाइट के माध्यम से क्रेता बोली देगा,उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में लौट के अनुमोदन पर सक्षम स्तर से विचार किया जायेगा। लौट की बिक्री सामन्यतः उच्चतम बोली के आधार पर होगी, परन्तु निगम को यह अधिकार होगा कि उच्चतम अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बाताये अस्वीकार कर दे।

2— क्रेता द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रबन्ध निदेशक के पंजाब नेश्नल बैंक खाता संख्या **0111002100103642** IFSC Code **PUNB0011100** में ई ऑक्सन फीस जमा करानी होगी।

3— यदपि लौट में सम्मिलित प्रत्येक नग की नपत विक्रय सूची में सही अंकित की जाती है तथापि क्रेता को चाहिये कि बोली देने से पहले लौट को भलीभांति देख ले। यदि कोई क्रेता विक्रय सूची मे दर्ज प्रकाष्ठ आदि(जलौनी/जड़ को छोड़कर) की नाप में संदेह करता है और दोबारा नाप करवाना चाहता है तो वह क्रेता संबन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को लिखित आवेदन पत्र देगा और साथ ही लौट के मूल्य का एक प्रतिशत अथवा रु0—100/—जो भी अधिक हो जमा करेगा। यदि दोबारा की गयी वास्तविक नाप एवं पूर्व में अंकित नाप मे 2 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है तो लौट की बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और लौट के संबन्ध मे क्रेता द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि उसे लौटा दी जायेगी। परन्तु उपरोक्त अन्तर 2 प्रतिशत या उससे कम पाया जाता है, तो बिक्री वैध मानी जायेगी और क्रेता द्वारा जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगीं। जलौनी,जड़ की पुनः नपत नहीं होगी।

4— ई ऑक्सन में क्रेता द्वारा लगायी गयी बोली (Auction Start Price) प्रति घ0मी0 की दर पर आधारित होगा।

5— लौट की बिक्री हो जाने के बाद वनोपज के ग्रेड (गुण श्रेणी) के संबन्ध में क्रेता को कोई शिकायत नहीं सुनी जायेगी। क्रेता वनोपज की भौतिक स्थिति मौके पर देखकर बोली दें।

6— निर्धारित समय पर जब ई—नीलाम समाप्त हो जायेगी तो उस समय बेबसाईट पर प्रदर्शित लौट की उच्चतम बोली देने वाले क्रेता को नीलाम समाप्ति के 48 घंटे के अन्दर उच्चतम बोली की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रुप में जमा करना होगा। यदि उक्त 48 घंटे की अवधि में कोई अवकाश पड़ता है तो जमानत की धनराशि अवधि के बराबर स्वतः आगे बढ़ जायेगी। उक्त अवधि में यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमानत की धनराशि नहीं जमा की जाती है तो उसकी बोली अस्वीकार कर दी जायेगी उसका पंजीकरण शुल्क उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा क्रेता को उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नीलामों में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। जमानत की धनराशि ओन लाईन,चालान या नकद अथवा राष्टीकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट जो प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में हों द्वारा जमा किया जायेगा जिसे लाट के विक्रय की स्वीकृति/अनुमोदन के क्रम में यथा स्थिति जब्त अथवा विक्रय मूल्य में समायोजित किया जा सकता है। **जमानत हेतु जमा किये गये बैंक ड्राफट पर कलैक्शन चार्ज क्रेता से नहीं मांगा जायेगा। यह व्यय वन निगम द्वारा वहन किया जायेगा।**

7— लौट के विक्रय की स्वीकृति/अनुमोदन की सूचना दी जाएगी। अनुमोदन सूचना के अनुसार देय धनराशि विक्रय मूल्य एवं प्रकाष्ठ से संबन्धित प्रपत्र जारी करने हेतु विक्रय मूल्य का 8.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रिमियम (Premium) देना होगा जो प्रमाणित प्रकाष्ठ (Certified Timber) के लिये ही आवश्यक है। यह प्रपत्र उन्हीं क्रेताओं को दिया जायेगा जिन्होने वन विकास निगम की वेबसाईट पर प्रमाणित प्रकाष्ठ क्रय हेतु अपना पंजीकरण कराया है । शेष समस्त कर नियमानुसार देय होंगे,जिसे जमा करने हेतु क्रेता के नाम अनुमोदन सूचना जारी की जायेगी, जिसे क्रेता के पास पंजीकृत डाक या हाथों हाथ भेजा जायेगा। सूचना में दर्शित देय धनराशि पंजीकृत पत्र प्रेषित करने की तिथी से (प्रेषित करने का दिन छोड़कर) 24 दिन के अन्दर (किन्तु प्रकाष्ठ उठाने से पहले) सम्बन्धित डिपो कार्यालय में जमा करना होगा/ यदि सूचना क्रेता को हाथ द्वारा दिया गया है तो सूचना प्राप्त करने के (प्राप्ति के दिन को छोड़कर) 21 दिन के अन्दर (परन्तु प्रकाष्ठ उठाने से पहले) देय धनराशि सम्बन्धित डिपो कार्यालय में जमा करना होगा। जमा हेतु यह भी प्रतिबन्ध होगा कि देय विक्रय मूल्य ,आयकर ,वैट/व्यापार कर तथा मण्डी शुल्क साथ साथ ही जमा किया जायेगा तथा अभिवहन शुल्क अलग से माल निकासी के समय अथवा पूर्व में

भी जमा किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के बैंक जैसे– **आइ0सी0आइ0सी0आइ0,एच0डी0एफ0सी0,आईडी0बी0आई0 के बैंक ड्राफट भी सभी देय धनराशियों हेतु मान्य होंगे,बशर्ते इन बैंकों की शाखा**

सम्बन्धित विक्रय प्रभाग मुख्यालय पर कार्यरत हों। जमा हेतु अंतिम तिथि तक बने बैंक ड्राफ़्ट क्रेता द्वारा यदि अंतिम तिथि के बाद तीन कार्य दिवसों तक सम्बन्धित डिपो कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे अंतिम तिथि को ही प्राप्त माना जायेगा।

8– (अ)–जब भी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य कर या संशोधित कर तथा नियम लागू होने पर क्रेता को मान्य होगा।

(ब)–क्रेता द्वारा कर में छूट संबन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें उसी स्थान की निकासी दी जायेगी, जिस स्थान का उन्होंने अपना व्यवसाय पंजीकृत करवाया है।

(स)–क्रेता को नियम सं–6 (ब) में उल्लखित छूट तभी प्रदान की जायेगी तब क्रेता द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय के संबन्घित कर निर्धारित अधिकारी द्वारा छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया हो । अन्य जिले अथवा स्थानों के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर कोई छूट देय नहीं होगी।

9– सभी प्रकार के लाटों की नीलाम द्वारा बिक्री के मामलों में अनुमोदन की अधिकातम अवधि नीलाम की तिथि को छोड़कर **40 (चालीस)** दिन तक होगी। यदि नीलाम की तिथि को छोड़कर **40(चालीस)** दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और क्रेता को बिक्री के अनुमोदन की सूचना पंजीकृत डाक से नहीं भेजी जाती है तो क्रेता लौट को क्रय करने से इंकार कर सकता है और ऐसी स्थिति में क्रेता के मांगने पर उस लौट की जमानत उसको वापस की जा सकती है। निरस्त लोटों के संबन्ध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम किसी भी बोली दाता को निरस्तीकरण की सूचना प्रेषित नहीं करेगा। बोली दाता संबन्धित कार्यालयों से स्वयं इस के संबन्ध में संपर्क कर आवश्यकतानुसार सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

10–(अ)–यदि क्रेता पंजीकृत पत्र द्वारा अनुमोदन सूचना प्रेषित होने के 10 दिन के अन्दर (प्रेषण का दिन छोड़कर) और यदि हाथ द्वारा प्राप्त किया गया हो तो 07 दिन के अन्दर (प्राप्त करने के दिन को छोड़कर) कुल भुगतान जमा करता है तो उसे लौट के विक्रय मूल्य का 01 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(ब)–कोमल काष्ठ की निम्नलिखित प्रजातियों के बी ग्रेड में उक्त स्थिति में 03 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

1–पौपलर 2– सेमल 3–गुटेल4–पूला 5–कंजू 6–झींगन 7–एलन्थस/अरु 8–हल्दू 9– फल्दू 10 बौरंग 11–गूलर 12–खरपट 13–गोजीना 14–पेपर मलबरी 15–ढाक 16–तुन 17–मलबरी 18–सिरस 19– बहेड़ा 20– बरगद 21–बाकली 22–सलई।

11–शर्त सं0–05 में उल्लिखित अवधि के अन्दर यदि क्रेता देय धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे अगले 14 (चौदह) दिनों तक प्रत्येक दिन की देरी के लिए देय विक्रय मूल्य की धनराशि पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा । यदि विलम्ब शुल्क की 14 दिनों की अवधि के बाद भी क्रेता धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जायेगी और लौट का नीलाम स्वतः निरस्त माना जायेगा।

12– क्रेता को डिपो से लौट की निकासी अनुमोदन सूचना प्रेषित की तिथि (प्रेषण की तिथि को छोड़कर) से 45 दिनों के अन्दर अथवा हाथ द्वारा अनुमोदन सूचना प्राप्त करने की तिथि (प्राप्ति तिथि को छोडकर)से 42 दिनों के अन्दर करनी अनिवार्य होगी। यदि क्रेता किसी कारण वश उक्त अवधि में डिपो से माल की पूर्ण निकासी नहीं कर पाता है तो उक्त दिनों के बाद 30 दिनों तक प्लाट रेंट के साथ निकासी प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। इन 30 दिनों तक निकासी के लिए क्रेता द्वारा 15 दिन के विलम्ब के लिए डिपो में पड़े शेष मात्रा के मूल्य का 0.25 प्रतिशत प्रति दिन तथा शेष 15 दिनों हेतु 0.50 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से प्लाट रेंट देय होगा। उक्त 30 दिनों में यदि क्रेता द्वारा निकासी नहीं ली जाती है तो अगले 30 दिनों के लिए संबन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, माल की निकासी हेतु प्लाट रेंट 0.50 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अनुमति प्रदान कर सकते हैं। अगर उपरोक्त अवधि में भी क्रेता माल की निकासी नहीं ले पाता है तो क्रेता के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में प्लाट रेंट सहित अवधि विस्तार हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में –

(अ)–क्रेता द्वारा उस लौट के लिए जमा की गयी समस्त धनराशि वन निगम के पक्ष में स्वतः जब्त मानी जायेगी।

(ब)–डिपो में रखे हुए लौट के समस्त वन उपज पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा,जिसे निगम क्रेता को बिना सूचना दिये हुए चाहे नीलाम द्वारा या अन्य माध्यम से निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इसके लिये क्रेता किसी प्रकार के मुआवजे आदि का हकदार नहीं होगा।

13–देय विलम्ब शुल्क अथवा प्लाट रेंट की धनराशि नकद या ड्राफ़्ट के माध्यम से देय होगा।

14–माल उठान, विक्रय मूल्य आकद जमा करने अथवा छूट की अन्तिम तिथि को रविवार या राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश होने पर अवकाश के अगले दिन को देय तिथि माना जायेगा। भुगतान के संबन्ध में डिपो अधिकारी तथा डिपो लेखाकार या दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहर लगी हुई रसीद ही वैध मानी जायेगी।

15–क्रेता को डिपो से निकासी सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच के समय में ही दी जायेगी।

विशेष शर्तें–

16–प्रकाष्ठ–लौट के प्रत्येक नग की नपत उस नग पर अंकित रहेगी। सभी प्रकार के लौट आयतन के आधार पर बेचे जायेंगे न कि भार के आधार पर। सिवाय कोयला,असना–छाल एवं बुरादे की लौटों के।

17–बांस, जड़,जलौनी–बांस की नीलामी बांस किस्म/श्रेणी के अनुसार नगों के आधार पर की जायेगी। जड़,जलौनी का नीलाम सामान्यतः लगभग चट्टा (7 मी0x 3मी0 x 1मी0)बनाकर चट्टा आयतन में किया जायेगा। क्रेता को चाहिये कि चट्टे भलीभांति देखकर ही बोली दें।

18–(अ)–कोयला ,असना छाल एवं बुरादा की लौट अनुमानित वजन के अनुसार बनायी जायेंगी। इनकी बोली प्रति कुन्तल में ही ली जायेगी तथा इनकी जमानत की धनराशि अनुमानित वजन के अनुसार ही जमा करनी होगी।

(ब)–बिके हुए लौट की अनुमोदन सूचना लौट में अंकित अनुमानित वजन के आधार पर ही जारी किया जायेगा और इसके भुगतान के लिए सामान्य शर्ते लागू होंगी।

(स)–लौट की निकासी के लिए भी सामान्य शर्ते लागू होगीं। तौल से नीलाम किये जाने के मामलों में भरे हुए ट्रक निगम द्वारा मान्य धर्मकाटें पर निगम के अधिकृत कर्मचारी के सामने तौला जायेगा और तौल के पर्चे पर अधिकृत कर्मचारी एवं क्रेता दोनों हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार के प्राप्त माल के पर्चे के अनुसार ही अंतिम भुगतान बिल बनाया जायेगा तथा यदि बिल में दर्शित देय भुगतान पूर्व सूचना से अधिक होगा तो क्रेता को अतिरिक्त धनराशि का करना होगा और तब ही क्रेता को ट्रक धर्मकाटे से ले जाने की अनुमति दी जायेगी। यदि पहले भुगतान अधिक हो गया तो क्रेता को नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि वापस (रिफण्ड) की जायेगी।

(द)–निकासी के लिए लाये खाली ट्रक का भार क्रेता को निगम द्वारा मान्य धर्मकांटे पर निगम के अधिकृत कर्मचारी के सम्मुख करवाना होगा। यदि समीप में धर्मकांटा न होने से खाली ट्रक का भार न करवाया जा सका तो ट्रक रजिस्ट्रेशन किताब में लिखा हुआ ट्रक का भार माना जायेगा। जिन मामलों में एक ट्रक लोड से कम माल होगा, उसका वजन डिपो/गोदाम में उपलब्ध **बीमबैलेंस से तौला** जायेगा।

19–शून्यकाल–उत्तराखण्ड वन विकास निगम के डिपुओं से बिक्री किये गये वनोपज की निकासी लेने में अपरिहार्य परिस्थिति में हुए किसी प्रकार के व्यवधान जिसमें क्रेता उत्तरदायी न हो की अवधि को शून्यकाल घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम को होगा।

20–उत्तराखण्ड वन विकास निगम नीलाम में भाग लेने वाले क्रेताओं/फर्म को निम्न परिस्थितियों में काली सूची में दर्ज करते हुए पंजीकरण निरस्त कर पंजीकरण/प्रवेश शुल्क जब्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा परिस्थिति अनुसार क्रेता/फर्म को वन निगम के नीलामों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(अ)–नीलाम में व्यवधान उत्पन्न करने तथा अन्य क्रेताओं को नीलाम में बोली देने से रोकने पर ।

(ब)–डिपो में किसी समय अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही कर उत्तराखण्ड वन विकास निगम को क्षति पहुंचाने पर।

21–वन निगम से क्रय की गयी लौट को पुनः बिक्री प्रथम क्रेता द्वारा वन विकास निगम के डिपो में नहीं की जा सकेगी। वन निगम वास्तविक क्रेता जिसके नाम बिक्री अनुमोदित की गयी होगी को ही निकासी की अनुमति प्रदान करेगा।

22–क्रेता की एक डिपो में अधिक जमा धनराशि दूसरे डिपो में क्रय की गयी लौट के विरुद्व समायोजित करने हेतु सम्बन्धित प्रभगीय विक्रय प्रबन्धक का लिखित आदेश ही मान्य होगा।

23–एक क्रेता की वन विकास निगम मे जमा धनराशि दूसरे क्रेता के नाम किसी भी दशा में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। यदि क्रेता चाहे तो एक लाट में अधिक जमा धनराशि को अपने दूसरे लाट के विक्रय मूल्य के विरुद्व लिखित आवेदन पत्र देकर समायोजित करा सकता है।

24–विषम परिस्थितियों में डिपो अधिकारी प्राधिकृत होगा कि वन विकास निगम के किसी अन्य डिपो (उसी विक्रय प्रभाग के निकटवर्ती डिपो) से आंशिक रुप से भरी हुई ट्रक/ट्रैक्टर आदि को लिखित अनुमति के पश्चात ही डिपो में प्रवेश दे सकता है। वन विकास निगम के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से क्रय किये गये आंशिक प्रकाष्ठ भरे हुए ट्रक/ट्रैक्टर आदि को डिपो में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। सामान्यतया क्रेता द्वारा लाये गये खाली ढुलान वाहनों को ही निकासी हेतु डिपो में प्रवेश दिया जायेगा।

25–इन शर्तो के कियान्वयन संबंधी विवादों में संबन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक ,उत्तराखण्ड वन विकास निगम आर्बीट्रेटर होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

26–उक्त संबन्धी किसी भी नियम/शर्त को प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवश्यकतानुसार कभी भी संशोधित, अतिक्रमित या निष्प्रभावी किया जा सकता है।

प्रबन्ध निदेशक